न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 100/2016

सहीराम पुत्र धोकलराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। —— रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू–रा.अ.1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ
दिनांक 13.07.2007

उपस्थितिः–

श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी
श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28/11/18

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष रोही सरदारपुरा खर्था के ख.नं. 190/7 व 200/4 की 7.590है. भूमि को अस्थाई काश्त से पुख्ता आवंटन करवाने हेतु प्रा.पत्र पेश करने पर पत्रावली दिनांक 03.07.2017 को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश होने पर उक्त भूमि में से 7.211है. भूमि का पुख्ता आवंटन कर दिया एवं ख.नं. 200/4 में 0.379है. भूमि जी.एफ.सी. में होने से नहीं की जा सकती का आदेश दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त भूमि जी.एफ.सी. में नहीं आती है। अधी. न्यायालय ने जी.एफ.सी. में मानकर आवंटन नहीं करने का जो आदेश दिया है वह उचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए

विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि जी.एफ.सी. में आने से उसका आवंटन नहीं किया जा सकता था। अधी. न्यायालय ने उक्त भूमि को आवंटन नहीं करने का जो आदेश दिया है वह उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 13.07.2007 के विरूद्ध पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली में सक्ष्म राजस्व अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट में यह अंकित है कि विवादित भूमि जी.एफ.सी. में अंकित है। इसके अलावा अधी. न्यायालय की पत्रावली पर मंशाराम पुत्र निरायणराम द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र दिनांक 13.07.2007 संलग्न है जिसमें ख.नं. 200/4 की 16 बीघा भूमि जी.एफ.सी. में होना बताया है। उक्त प्रा.पत्र के सम्बन्ध में अधी. न्यायालय द्वारा कोई जांच किया जाना नहीं पाया जाता है। महज अपीलांट का कब्जा होने के दावे से ही जी.एफ.सी. की भूमि के आवंटन का हकदार नहीं बन जाता। जी.एफ.सी. की भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। चूंकि विवादित भूमि जी.एफ.सी. में होने से आवंटन नही करने से सम्बन्धित जो आदेश अधी. न्यायालय ने दिये हैं उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। इसके अतिरिक्त अधी. न्यायालय को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि मंशाराम द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र के सम्बन्ध में नियमानुसार जांच कर प्रा.पत्र पर कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 28/11/16 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/16

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर